प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 17/2024
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः अप्रैल 03, 2024

विषयः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-482 संख्या:11678/2023 राम गोपाल गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 432/2020 धारा 384 भादवि थाना लोनार, जनपद हरदोई में पारित आदेश दिनांकित 14.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-482 संख्या:11678/2023 राम गोपाल गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 432/2020 धारा 384 भादवि थाना लोनार जनपद हरदोई में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याची के विरुद्ध मु.अ.सं. 432/2020 धारा 384 भादवि में न्यायालय में दाखिल किये गये आरोप पत्र दिनांकित 13.10.2020 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में जनपद हरदोई में तैनात याची रामगोपाल गुप्ता हो0गा0 का ड्यूटी के दौरान नो एन्ट्री प्वाइंट पर अवैध वसूली करने की वीडियो वायरल होने पर उसके विरुद्ध मु.अ.सं. 432/2020 धारा 384 भादवि, थाना लोनार, जनपद हरदोई पंजीकृत किया गया। अभियोग में की गयी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 14.12.2023 में निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

17. It is evident from the record that no alleged photograph is annexed with the case diary. Further when there is no aggrieved person in the case of extortion, then merely on the basis of imagination, no such person can be implicated. As the chargesheet was bet by Prosecuting Officer and approved by Circle Officer of the area in question in the most negligent manner without considering the ingredients of Section 383 I.P.C.,
therefore, this Court is of the view that the impugned chargesheet dated 13.10.2020 and its consequential proceedings as well the summoning order dated 25.04.2022 along with the order dated 02.08.2023 are liable to be set aside and are hereby set aside.
18. With the above observations, the present application U/s 482 Cr.P.C. is allowed.
19. However, before parting with the judgement, it is worthy to be noted that the present case is the classic example of false implication, in which, the applicant has been victimized by implicating him falsely and, hence, he should be compensated with the cost of some token amount.

............2

20. Accordingly, a cost/sum of Rs. 2 lakhs be paid to applicant by District Magistrate, Hardoi who is head of criminal justice system in the district (as per Para 06 of U.P. Police Regulation) and Superintendent of Police, Hardoi within two months from today and also file a compliance report before Senior Registrar of this Court.

21. Office is directed to communicate this order to the following authorities for information and necessary action, forthwith:-

(i) The Trial Court,
(ii) Legal Remembrancer, Government of U.P., Lucknow,
(iii) Principal Secretary, Department of Home, Government of U.P., Lucknow,
(iv) Director General of Police, U.P., Lucknow,
(v) Director General of Prosecution, U.P., Lucknow.

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत प्रकरण में विवेचक द्वारा बिना साक्ष्य संकलन के मात्र सम्भावना के आधार पर धारा-384 भादवि के अपराध में आरोप पत्र तैयार कर मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। भारतीय दण्ड विधान की धारा-383 में Extortion के अपराध, जिसके लिये दण्ड धारा-384 भादवि में प्राविधानित है, को निम्नवत परिभाषित किया गया है,–

383. Extortion.—

Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits "extortion".

Illustrations

(a) A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion.
(b) A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement, unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain monies to A. Z sings and delivers the note. A has committed extortion.
(c) A threatens to send club-men to plough up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B, and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion.
(d) A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and deliver it to A. Z sings and delivers the paper to A. Here, as the paper so signed may be converted into a valuable security. A has committed extortion.

भारतीय दण्ड संहिता में दी गयी Extortion की परिभाषा से स्पष्ट है कि Extortion के अपराध का आवश्यक तत्व सम्पत्ति का हस्तांतरण है, जिसे प्रमाणित करने हेतु विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में विवेचक द्वारा सम्पत्ति का हस्तांतरण प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विवेचना के उपरान्त मा0 न्यायालय में प्रेषित आरोप पत्र को निरस्त कर दिया गया तथा आरोपी को 2 लाख रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का आदेश भी पारित किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारतीय दण्ड संहिता-1860 में अपराध की परिभाषा में विद्यमान सभी अनिवार्य तत्वों के सम्बन्ध में प्रमाणित साक्ष्य संकलित कर लिया गया है। पर्यवेक्षण

अधिकारियों का भी यह दायित्व है कि विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य की निकटता से समीक्षा कर लें तथा आवश्यकतानुसार जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन का विधिक मंतव्य भी प्राप्त करें। समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने कमिश्नरेट/जनपद के विवेचकों को विवेचना की बारीकियों से परिचित कराने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करें। समस्त कमिश्नरेट/जनपद प्रभारियों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि विवेचना के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

3.4.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।